



Online Public Data Entry Summary

UKPDE2024090300223

DISTRICT NAME : विहरी गढ़वाल SRO : जाल्पागढ़

19-Mar-2024

11:32:40AM

UKPDE2024090300223 From 16 Feb 2023

Appointment Date: 19 Mar 2024

Appointment Time: 01:30 p.m to 02:30 p.m

Appointment TokenNo: 5

Deed Article Type : Lease

Sub-Deed/Sub-Article : Lease(Not Exceeding 30 years)

Village/Location For Index : खान्दी -B,4, जाल्पागढ़-महादेव मोटर मार्ग

Village/Location/Road Selected for Circle RateList : खान्दी -B,4, जाल्पागढ़-महादेव मोटर मार्ग

Khewal : Khatoni : 00030 00026

Khasra : 40 45 46 47 48 67

House/Flat No :

Area : 2.460.0000 वर्ग मीटर

Latitude : Longitude : 0.0000000000

Land Value : 0.00 Construction Value : 0.00

Transaction Value : 0.00 Market Value : 0.00

Advance : 0.00 Lease Period : 27.00 Avg. Rent : 4,698.82

Stamp Duty : 6,800.00 Regn Fees : 3,400.00

Pasting Fees : 100 Page : 28

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	व्यवसायिक निर्माण का विवरण			
		क्षेत्रफल			
क्र.सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	रकबा
आवासीय निर्माण का विवरण					
क्र.सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक		
1	Cash	3,400.00			
निबंधक शुल्क का विवरण					
क्र.सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	वारी दिनांक	स्टांप बिक्रेता आईडी
1	e-Stamp	6,800.00		19-Mar-2024	15

विक्रम सिंह

Kaushik

Appointment Date: 19 Mar 2024

Appointment Time: 01:30 p.m to 02:30 p.m

Appointment Token No: 5

पक्षकारों का विवरण		हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण					
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री विक्रम मिश्र पुत्र श्री ज्ञान मिश्र निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खाम, तहसील-जायसीधर, जिला-दिल्ली गढ़वाल	विक्रम मिश्र	Self employed		9897501756	ADHAAR : 460529151389
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री वीरवर्धन मिश्र पुत्र श्री लक्ष्मी कन्द निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खाम, तहसील-जायसीधर, जिला-दिल्ली गढ़वाल		Self employed		9627522490	ADHAAR : 588359915105
क्रता / द्वितीय पक्ष	श्रीमती कश्मिना पत्नी श्री मन्मथ हरशरण निवासी बजरपुर, छापाभाजरी, हल्द्वारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड		House wife		9557587073	ADHAAR : 248613322490
गवाह	श्री प्यार मिश्र पुत्र श्री पुष्प मिश्र निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खाम, तहसील-जायसीधर, जिला-दिल्ली गढ़वाल	प्यार मिश्र	Self employed		6399529239	ADHAAR : 663822173885
गवाह	श्री विकास स्वरूप पुत्र श्री माधवानन्द निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खाम, तहसील-जायसीधर, जिला-दिल्ली गढ़वाल	विकास	Self employed		9084424742	ADHAAR : 552609349306

Deed Writer /Advocate Name : D.Dumoga Adv.

Kaeishma

विक्रम मिश्र

Token No-5

भारत सरकार
Government of India

बिबल सिंह
Beerbal Singh
जन्म तिथि/DOB: 01/08/1963
पुरुष / MALE

5883 5991 5105

VID : 9171 4170 8006 3659

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारत सरकार
Government of India

विक्रम सिंह
VIKRAM SINGH
जन्म तिथि/DOB: 15/05/1983
पुरुष / Male

विक्रम सिंह

4605 2915 1389

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारत सरकार
Government of India

कविता
Kavita
जन्म तिथि/DOB: 12/07/1990
स्त्री / FEMALE

2486 1332 2490

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारत सरकार
Government of India

प्यार सिंह
PYAR SINGH
जन्म तिथि/DOB: 23/05/1984
पुरुष / MALE

6638 2217 3885

मेरा आधार, मेरी पहचान

विकास
Vikas
जन्म तिथि/DOB: 07/08/1993
पुरुष / MALE

5526 0934 9306

VID : 9181 7006 8703 2195

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
बुल, भोल सिंह, खन्दी मय मरोडा, खंडी मया काफली,
टीहरी गढ़वाल,
उत्तराखण्ड - 249123

Address:
C/O. Bhola Singh, Khandi may maroda,
Khandi Maya Kafali, Tehri Garhwal,
Uttarakhand - 249123

5883 5991 5105

VID : 9171 4170 8006 3659

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: जाखनीधार, खन्दी मय मरोडा, खंडी मया
काफली, टीहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड, 249123

Address: JAKHNI DHAR, Khandi may
maroda, Khandi Maya Kafali, Tehri
Garhwal, Uttarakhand, 249123

4605 2915 1389

1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: सुभाष राकेश, बहादुर चामरा, हस्तनगर,
चणगाडा/धनकुआ, हरिद्वार,
उत्तराखण्ड - 247661

Address:
C/O. Subhash Rakesh Bahadour,
Changamara/Dhanakura, PO
Hastnagar, DIST: Haridwar,
Uttarakhand - 247661

2486 1332 2490

VID : 9151 0283 2999 9578

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
जाखनीधार, खन्दी मय काफली, जंझार, टीहरी
गढ़वाल,
उत्तराखण्ड - 249123

Address:
JAKHNI DHAR, Khandi Maya Kafali, PO
Jainidhar, DIST: Tehri Garhwal,
Uttarakhand - 249123

6638 2217 3885

VID : 9120 7718 7770 4887

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
जाखनीधार, खन्दी मय मरोडा, खंडी मया काफली,
टीहरी गढ़वाल,
उत्तराखण्ड - 249123

Address:
JAKHNI DHAR, KHANDI MAY MARODA,
Khandi Maya Kafali, Tehri Garhwal,
Uttarakhand - 249123

5526 0934 9306

VID : 9181 7006 8703 2195

मेरा आधार, मेरी पहचान



कार्यालय सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था (विद्युत)
तामसौर, मथुरा, महेन्द्रगढ़ जनपद - टिहरी परगना।
फोन नं - 01378-227260
Email: urda.telw@gmail.com

पत्रांक संख्या 718 /उरेडा/मुम और स्कडो / 2023-24 दिनांक 14 मार्च, 2024

समाप्त

परियोजना आवंटन पत्र

श्रीमती करिमा
बहाबपुर, छागगजरी, भगवानपुर
हरिद्वार।

विषय - " मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत 200 कि०वा० क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट का आवंटन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आपके online आवेदन के निर्धारित शर्तों के अनुसार परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत 200 क्षमता का सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लान्ट आपको निम्न शर्तों के आधार पर आवंटित किया जाता है।

क्रम सं०	मद	विवरण
01	पर्यवेक्षण संख्या-	2400
02	संयंत्र की क्षमता	200 कि०वा०
02	निर्धारित विद्युत विक्रय दर	परियोजना की कमीशनिंग की तिथि के सापेक्ष मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में ₹० 4.64 प्रति यूनिट)
03	प्रस्तावित स्थापना स्थल (इस आवंटन पत्र के सापेक्ष परियोजना की स्थापना अन्य जनपद में किया जाना अनुमत्य नहीं है)	काण्डी, विकास खण्ड-जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल।
04	संयंत्र की कमीशनिंग हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि	परियोजना आवंटन तिथि से 12 माह के अन्तर्गत
05	संयंत्र से उत्पादित विद्युत के कय की अवधि	संयंत्र की कमीशनिंग तिथि से 25 वर्षों तक

01. योजना हेतु शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 697/1-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर 2020, संशोधित शासनादेश संख्या 72/1-1/2021/03/02/2020 TC दिनांक 25 जनवरी, 2021 एवं 385/1-1/2023-03/02/2020 दिनांक 13 मार्च, 2023 एवं पत्र संख्या- 1058/1-1/2023-03/02/2020(F-File No.30740 दिनांक 08 जुलाई, 2023 से आवंटनी मलमिति मित्र है।

02. उक्त निर्गत परियोजना आवंटन पत्र (LoA) की तिथि से आवंटनी द्वारा 30 दिवस के भीतर Contract Performance Guarantee (50 कि०वा० हेतु ₹० 25,000/-, 100 कि०वा० हेतु ₹० 50,000/- एवं 200 कि०वा० हेतु ₹० 1,00,000/-) उरेडा परियोजना कार्यालय पर FD/CDR/TDR के रूप में जिसकी वैधता न्यूनतम 2 वर्ष हो, जमा की जानी होगी। उक्तानुसार CPG 30 दिवस में जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। परियोजना स्थापना एवं कमीशनिंग परियोजना आवंटन पत्र (LoA) से 12 माह के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य होगी। उक्तानुसार स्थापना 12 माह के अन्तर्गत न होने पर आवंटन निरस्त कर CPG जमा कर ली जाएगी।

वि का म मि ट

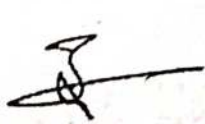
Kaushik

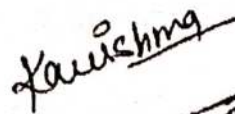
- 03 कृपया इस आवंटन पत्र की प्रति के 10 दिवस के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन (लैड) के कार्यालय में सम्पर्क कर पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) हस्ताक्षरित करें।
- 04 पावर परचेज एग्रीमेंट तथा आवंटित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु सूचीबद्ध फॉर्म को जारी कार्यादेश/ कार्यादेश से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति उर्रेडा कार्यालय को भी अभिलेखार्थ उपलब्ध कराये।
- 05 सोलर पावर प्लान्ट के ग्रिड संयोजन, विद्युत उत्पादन, स्थापना/कमीशनिंग आदि से सम्बन्धित तकनीकी मानक मा10 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा निर्धारित रेग्यूलेशन के अनुसार पूर्ण कराये जाने अनिवार्य होंगे।
- 06 मा10 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा स्थापना/कमीशनिंग हेतु निम्नवत शर्तें/मानक निर्धारित हैं, जो कि निम्नवत हैं:-

- (a) Installation of energy meter as certified by the concerned Executive Engineer of the distribution licensee.
- (b) Project completion report as verified by UREDA, the State nodal agency.
- (c) Issuance of Clearance Certificate by the Electrical Inspector.
- (d) Further, such generator has to demonstrate minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW at the time of inspection for initial commissioning."

Provided that minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW is demonstrated within Three months from the date of first injection of power into licensee's grid on compliance of aforesaid pre-requisites.

- 07 आवेदक द्वारा सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम0एन0आर0ई0) द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डों/के अनुरूप पूर्ण करायी जानी अनिवार्य होगी।
- 08 सम्बन्धित आवंटनी/विकासकर्ता द्वारा Commercial Operation Date (COD) की तिथि अनुसार ही मा10 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर विद्युत क्रय यू0पी0सी0एल0 द्वारा किया जाएगा।
- 09 संयंत्र की स्थापना के उपरान्त दैवीय आपदा अथवा ऐसे अन्य कारणों से सम्भावित क्षतिपूर्ति हेतु आवंटनी द्वारा संयंत्र का बीमा अपने व्यय पर स्वयं कराया जाना होगा।
- 10 आवंटनी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटनी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फॉर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी।
- 11 इस योजना में 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जाना है, यदि बिना उर्रेडा अधिकरण के किसी भी समय एक ही परिवार को दो संयंत्र आवंटन का तथ्य गलत पाया जाता है तो उर्रेडा द्वारा आवंटन को निरस्त कर जमा सिवयूरिटी (CPG) जब्त कर ली जायेगी।
- 12 परियोजना की कमीशनिंग (सी0ओ0डी0) से परियोजना अवधि (25 वर्षों) तक, स्थापित सोलर पावर प्लान्ट का स्वामित्व परिवार के अन्य पात्र सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य को हस्तान्तरित किया जाना मान्य नहीं होगा।

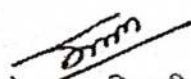
 वि. म. सिंह

 Kaurishma

13. स्पष्ट करना है कि उरेडा की भूमिका मात्र सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए आवंटित की सुविधा प्रदान करना है। उरेडा इस योजना के लिए धन की व्यवस्था करने या जारी करने में सम्मिलित नहीं है। किसी भी स्तर पर आवंटित एव फर्म के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार (अनुबन्ध/करार, कार्यादेश, भुगतान, वाद-विवाद आदि) के विवाद के मामले में उरेडा वित्तीय, कानूनी या किसी अन्य प्रकार से उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं होगा।

14. स्पष्ट करना है कि आवंटित सौर पावर प्लान्ट हेतु उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी MSME Policy-2023 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन एवं लाभ आदि प्राप्त करने हेतु परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त <https://investuttarakhand.uk.gov.in> पर In-Principal approval (Common application form) प्राप्त करना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा में MSME Policy-2023 में निहित प्रोत्साहन एवं लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तों का अनुपालन कराते हुये "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत सौर पावर प्लान्ट संयंत्र स्थापित कराने का कष्ट करें।


परियोजना अधिकारी
उरेडा-टिहरी

 विक्रम सिंह



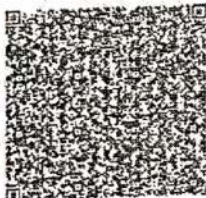
सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK12111898155419W
 Certificate Issued Date : 19-Mar-2024 11:10 AM
 Account Reference : NONACC (SV) / UK1229604 / TEHR / UK-TG
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK122960430929142888314W
 Purchased by : SMT KARISHMA
 Description of Document : Article 35 Lease
 Property Description : VILL-KHANDI PATTI-KHAS TEHR / GARHWAL
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : VIKRAM SINGH BEERBAL SINGH
 Second Party : SMT KARISHMA
 Stamp Duty Paid By : SMT KARISHMA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 6,800
 (Six Thousand Eight Hundred only)



दुर्गा प्रिन्ट जिनियल
 स्टाम्प विक्रेता
 गेट कामाजुड, नई दिल्ली



IRID

0014083807

Statutory Alert:

1. The genuineness of this Stamp Certificate should be verified at www.shanestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Shan's Holding.
2. Any discrepancy in the Certificate or the Stamp should be reported to the concerned authority.
3. The onus of checking the genuineness is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

पट्टा विलेख Lease Deed

यह पट्टा विलेख (इसके बाद पट्टा या पट्टा विलेख कहा जायेगा) मार्च 2023 माह के 19 वें दिन उप निबन्धक कार्यालय नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में पक्षकारान के बीच निम्न प्रकार निष्पादित किया जायेगा।

बिक्रम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह (Adhar no. 460529151389) (Mob.9897501756),

बीरबल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द (Adhar no. 588359915105) (Mob-9627522490), सभी निवासी-ग्राम-खान्दी, पट्टी खास, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन-249123 इसके बाद इन्हे पट्टेदाता/लीज दाता/प्रथम पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।

एवं

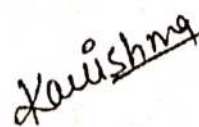
श्रीमती करिश्मा पत्नी सजल हटवाल निवासी-बहाबपुर, छांगामांजरी, हल्द्वामाजरा हरिद्वार उत्तराखण्ड (Adhar No-248613322490) (Mob-9557587073)-जिसे इसके बाद इन्हे पट्टेदार/लीज प्राप्त कर्ता/द्वितीय पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।

 विक्रम सिंह

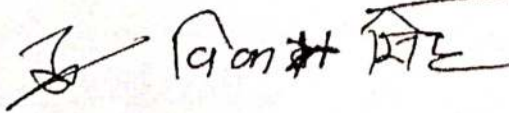
 करिश्मा

1. यह कि प्रथम पक्ष/पट्टेदाता/लीज दाता ने ग्राम-खान्दी, पट्टी-खारा, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन-249123 के खतौनी खाता संख्या 00030 फसली वर्ष 1428-1433 में दर्ज खेत संख्या 40 रकबा 0.040 हे०, खेत सं०-45 रकबा 0.050 हे०, खेत सं०-46 रकबा 0.025 हे०, खेत सं०-47 रकबा 0.050 हे०, खेत सं०-48 रकबा 0.050 हे० कुल खेत 5 कुल रकबा 0.215 हे० याने 2150 वर्ग मीटर भूमि स्वामी बीरबल सिंह, खाता सं०-00026 में दर्ज खेत सं०-67 रकबा 0.031 हे० याने 310 वर्ग मीटर भूमि स्वामी बिक्रम सिंह, दोनों खातों का कुल रकबा 0.246 हे० याने 2460 वर्ग मीटर पट्टेदाता/प्रथम पक्ष मालिक सहभूमिधर व कब्जेदार स्वामी हैं उक्त भूमि को नीचे दी गई शर्तों व निबन्धन के अनुसार उक्त भूमि को पट्टे पर देने के लिए सहमत है, उक्त भूमि 27 साल के पट्टे पर लेना स्वीकार कर लिया है तथा पट्टेदार उत्तराखण्ड वैकल्पिक ऊर्जा अभिकरण (UREDA) के द्वारा 200 कि०वा० सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्गत परियोजना आवंटन पत्र सं०-718/उरेडा मु०मं० सौर स्व०यो/2023-24 दिनांक 14.03.2024 के क्रम में 200 कि०वा० सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि को पट्टे पर ले रहा है।
2. यह कि पट्टा दिनांक 19.03.2024 से प्रारम्भ होकर 18.03.2051 याने 27 वर्ष के लिए रहेगा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी पट्टेदार को उक्त भूमि की आवश्यकता होगी, तो आपसी समझौते पर पट्टा बढ़ाया जायेगा। पट्टेदार मु० 4200 रु० प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रतिवर्ष की रकम पर उक्त भूमि को पट्टा/किराये पर ले रहा है, यह किराये राशि 10 वर्ष होगी तथा 10 वर्ष के पश्चात् किराया पट्टा राशि 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रत्येक 10 वर्ष में वृद्धि की जायेगी, पट्टेदार उक्त भूमि/सम्पत्ति को इस अनुबन्ध के समाप्त होने के पश्चात अर्थात् 27 वर्ष होने के पश्चात् फिर उपयोग के लिए चाहेंगे, तो प्रथम पक्ष/पट्टादाता की सहमति के उपरान्त कर सकेंगे। अन्यथा भूमि खाली की जायेगी।

 विक्रम सिंह

 Khushna

3. यह कि दोनों पक्षों द्वारा उक्त पट्टे पर दी गई भूमि का वार्षिक किराया वर्तमान में 4200 रु० प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है, प्रथम 10 वर्ष के लिए 5,16,600 रु०, द्वितीय 10 वर्ष के लिए 5,68,260 रु० तथा अन्तिम 7 वर्ष के लिये 4,37,560.20 रु० याने कुल 27 वर्ष का किराया मु० 15,22,420.20 रु० तथा औसत वार्षिक किराया 56,385.93 रु० होता है तथा प्रतिमाह औसत किराया 4698.82 रु० होता है तथा मार्च 2023 का किराया अदा किया जा चुका है। एवं प्रत्येक अप्रैल माह में किराया अदा करना होगा।
4. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि से सम्बन्धित कोई कर या अन्य परिभार समय-समय पर जो कि किसी भी अवधि के लिए देय होगा, पट्टेदार द्वारा अदा किया जायेगा, पट्टेदार अपने नाम से उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन, जल संयोजन व अन्य उपयोग के कनेक्शन इत्यादि व सौन्दर्यकरण करवा सकता है।
5. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि का पट्टेदार को वैधानिक रूप से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए जैसे चाहे इस्तेमाल, उपयोग, उपभोग करने का अधिकार होगा तथा उक्त भूमि पर पट्टेदार को किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का सामान आदि रखने किसी प्रकार का स्थाई निर्माण तथा किसी भी प्रकार की लोडिंग, अनलोडिंग आदि करने का अधिकार होगा।
6. यह कि पट्टेदार को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त वैकल्पिक सोलर पावर प्लांट लगाये जाने हेतु 25 वर्ष के लिए स्वीकृति मिल चुकी है।
7. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार को पट्टा अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्ध को ऋणदाता बैंक की अनुमति के बिना समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पट्टादाता उक्त भूमि को उक्त अवधि के दौरान विक्रय नहीं कर सकेंगे।
8. यह कि उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 1406/XVIII(II)2019-20(78)2018 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदार और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) की धारा-150(क) एवं धारा 156 का संशोधन अध्यादेश दिनांक 18.11.2019 के अनुसार भूमि लीज पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

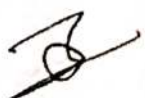
 विनोद सिंह  Kaurishmy

9. यह कि लीजशुदा भूमि का वार्षिक औसत किराया मु0 56385.93 रु0 है तथा उक्त किराया के 6 गुना मु0 3,39,000 रु0 पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क मु0 6800 रु0 अदा किया गया है।
10. यह कि इस पट्टे विलेख में बताये गये अनुसार पट्टादाता यह पुष्टि करता है कि पट्टेदार को परियोजना व इस पट्टे विलेख में दी गई जमीन के पट्टा अधिकारों को किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने व किसी भी सिक्यूरिटी/गिरवी रखने के लिये पट्टेदाता से अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने की कोई जरूरत नहीं होगी और इस पट्टे में पट्टेदार के अधिकार एवं हित ऋणदाताओं के पक्ष में कर सकता है, जिनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, हस्तांतरण, और नियुक्त सम्मिलित हैं, (परियोजना के लिये ऋणदाता और पट्टेदार इस परियोजना के लिये हासिल किये गये या हासिल किये जाने वाले ऋण के भुगतान के लिये एक सिक्यूरिटी के रूप में रख सकेगा, हालांकि परियोजना के ऋणदाताओं या पट्टेदार का कोई भी अधिकार पट्टे की अवधि से अधिक नहीं होगा जब तक की दोनों द्वारा इसे विस्तारित करने के लिये लिखित में कोई घोषणा नहीं होती है,) पट्टेदाता परियोजना के लिए पट्टेदार के द्वारा लिये गये किसी भी ऋण के लिये जिम्मेदार नहीं होगा, पट्टेदार के पास भूमि पार्सल का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकारों को गिरवी रखने का अधिकार नहीं है, परन्तु उसके पास भूमि पार्सल पर इस पट्टे के अधिकारों को गिरवी रखने का हक हासिल है, पट्टे की समाप्ति के उपरान्त पट्टेदार एवं उसके ऋणदाताओं का भूमि पार्सल पर कोई अधिकार नहीं होगा, भूमि पर बैंक से पट्टादार ऋण ले सकता है।
11. यह कि पट्टादाता के द्वारा श्रीमती करिश्मा, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित भूमि के सापेक्ष उस पर प्रस्तावित/स्थापित 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रके विरुद्ध बैंक ऋण बकाया होने की अवधि तक या भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) विद्यमान रहने की अवधि तक, जो भी अधिक हो, किसी भी प्रकार का कोई अन्य ऋणभार (Encumbrance) पट्टादाता के द्वारा नहीं लिया जायेगा।

विमल सिद्ध

Karishma

12. यह कि पट्टादाता एवं श्रीमती करिश्मा पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) ऋण के बकाया होने की तिथि तक उस बैंक, जिसके द्वारा श्रीमती करिश्मा को 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया है, की सहमति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है। तथापि ऋणदाता बैंक के द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण के समाप्त हो जाने के उपरान्त यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) पट्टादाता एवं श्रीमती करिश्मा की आपसी सहमति से समाप्त किया जा सकता है।
13. यह कि पट्टादाता एवं श्रीमती करिश्मा पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) दिनांक 19.03.2024 से प्रारम्भ होकर 18.03.2051 याने 27 साल की अवधि तक वैध होगा एवं इसमें दी गयी विभिन्न शर्तें दोनों पक्षों पर लागू होंगी।
14. यह कि यदि ऋणदाता बैंक के द्वारा श्रीमती करिश्मा पट्टेदार को Defaulter घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में ऋणदाता बैंक इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) को किसी अन्य पक्ष को नियमानुसार प्रतिस्थापित कर सकता है।
15. यह कि पट्टादाता का प्रस्तावित/स्थापित 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर किसी भी प्रकार को कोई हक/अधिकार नहीं होगा।
16. यह कि पट्टादाता एवं श्रीमती करिश्मा, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित विवरण संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। उक्त भूमि की सीमायें निम्न से घिरी हुई है:-
पूर्व:- बालकृष्ण की भूमि।
पश्चिम:- कुम्हारधार सरहद।
उत्तर:- महावीर सिंह की भूमि।
दक्षिण:- जय प्रकाश की भूमि।

 विक्रम सिंह

 Karishma

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (बिक्रम सिंह) की उंगलियों की छाप-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (बीरबल सिंह) की उंगलियों की छाप-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

द्वितीय पक्ष/पट्टाग्रहीता की उंगलियों की छाप-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

बिक्रम सिंह

Kaushik

अतः आज दिनांक 19.03.2024 को इस अनुबन्ध को करने वाले पट्टादाता/पट्टेदार निम्न गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके निष्पादित किया जाता है।

वि.क. ५ सि. ६
ह0 प्रथम पक्ष/पट्टादाता

ह0 द्वितीय पक्ष/पट्टेदार
Kauishmy

रचियता

देवेन्द्र दुमोगा

एडवोकेट

देवेन्द्र सिंह दुमोगा
एडवोकेट

पेपर नं०-05, मो.-9412076539
कोर्ट खजाना नं० बड़ टिहरी
पंजी-UK-2234/04, UP-1149/92

गवाह

प्यार सिंह

1. प्यार सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह, निवासी-ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

आधार नं०-663822173885

Mob.6399529239

विकास

2. विकास स्वरूप पुत्र श्री माधवानन्द, निवासी-ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

आधार नं०- 552609349306

Mob. 9084424742

Kauishmy

वि.क. ५ सि. ६

बही संख्या 1 जिल्द 57 के पृष्ठ 1 से 28 पर क्रमांक 184 पर आज दिनांक

19 Mar 2024 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

19/03/24

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, जाखणीघर
19 Mar 2024

